

प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 115/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2019: – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज डिजिटल टीवी प्रसारण सेवाओं के लिए इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. डिजिटल टीवी प्रसारण सेवाएं, टीवी सेट से जुड़े सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त की जाती हैं। एसटीबी वितरण नेटवर्क से टीवी सिग्नल प्राप्त करता है और उन्हें टीवी सेट पर देखने योग्य बनाने के लिए डिकोड करता है। एसटीबी उपभोक्ता को केवल उन्हीं टीवी चैनलों को देखने में सक्षम बनाता है, जो उसने सब्सक्राइब किए हैं।

3. वर्तमान में नेटवर्क में स्थापित एसटीबी नॉन-इंटरऑपरेबल हैं, यानी एक ही एसटीबी को अलग-अलग सेवा प्रदाताओं द्वारा आपस में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कंपनियों द्वारा स्थापित एसटीबी का संबंध है, एसटीबी कॉमन इंटरफेस (सीआई) मॉड्यूल आधारित इंटरऑपरेबिलिटी का सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस शर्तों का पालन करते हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी की कमी ने न केवल पे-टीवी बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम किया है, बल्कि तकनीकी नवाचार, सेवा की गुणवत्ता में सुधार और क्षेत्र के विकास में भी एक बड़ी रुकावाट खड़ी की है।

4. भादूविप्रा ने अप्रैल 2016 के दौरान सेट टॉप बॉक्स इंटरऑपरेबिलिटी पर एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया था। इसके बाद, तकनीकी इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स के लिए सी-डॉट द्वारा विकसित समाधान आर्किटक्चर पर एक परामर्श नोट अगस्त 2017 के दौरान जारी किया गया था। स्मार्ट कार्ड-आधारित समाधान का सी-डॉट द्वारा विकसित सीएएस के अलग-अलग उदाहरणों का उपयोग करके प्रयोगशाला स्थितियों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हालांकि, विभिन्न उद्योग हितधारकों के साथ तीसरे पक्ष सीएएस समाधान का फील्ड परीक्षण अभी भी किया जाना है।

5. भादूविप्रा ने सेट टॉप बॉक्स इंटरऑपरेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ बैठकों/चर्चाओं सहित कई उपाय किए हैं। प्राधिकरण सूचना के आदान–प्रदान के लिए प्रसारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के भी संपर्क में है। एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी को लागू करने के लिए सबसे अच्छा समाधान सुझाने के लिए सभी परामर्शदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से अब एक परामर्श पत्र जारी किया गया है।

6. परामर्श पत्र एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपलब्ध विकल्पों और तकनीकी समाधानों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। परामर्श पत्र सबसे इष्टतम और किफायती समाधान के सुझाव के लिए विस्तृत औचित्य के साथ प्रतिक्रिया चाहता है। परामर्श पत्र <http://www.trai.gov.in/release-publication/consultation>. यूआरएल के तहत भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर अपलोड किया गया है। हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सोमवार, 9 दिसंबर, 2019 तक तकनीकी इंटरऑपरेबल एसटीबी के लिए प्रस्तावित समाधान आर्किटक्चर पर अपनी लिखित टिप्पणी प्रस्तुत करें। प्रति–टिप्पणियां सोमवार, 23 दिसंबर, 2019 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। टिप्पणियाँ, इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भादूविप्रा को ई–मेल [advbcs-2@trai.gov.in](mailto:advbcs-2@trai.gov.in) या [jadvisor-bcs@trai.gov.in](mailto:jadvisor-bcs@trai.gov.in) पर भेजी जा सकती हैं।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर + 91-11-23237922, फैक्स नंबर +91-11-232 20442 पर संपर्क किया जा सकता है।

(सुनील कुमार गुप्ता)

सचिव/भादूविप्रा

**अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।**